

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.09.2019 जनपद देवरिया

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री शिष्यपाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर श्री दिनेश कुमार, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री वरुण मिश्र के पर्यवेक्षण में थाना तरकुलवा, रूद्रपुर व लार पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:—

01.थाना रूद्रपुर पुलिस द्वारा हत्या कारति करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:—दिनांक—01.09.2019 की रात्रि में 19:30 बजे थाना रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेलकुण्डा के पास रोड के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान बृजमंगल गुप्ता पुत्र कतवारु गुप्ता निवासी—छपौली थाना—रूद्रपुर जनपद—देवरिया के रूप में हुई थी। जिसके संबन्ध में थाना रूद्रपुर पर मु0अ0सं0—272/2019 धारा—302 भादसं का अभियोग अज्ञात अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक रूद्रपुर द्वारा संपादित की जा रही थी। आज दिनांक—21.09.2019 को विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान मय हमराही अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम खोरमा कन्हौली मोड के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके द्वारा अपना नाम पता **विजय कुमार पुत्र महाजन निषाद निवासी—सोहवल गडहा सेखुई थाना—गौरीबाजार जनपद—देवरिया** बताया गया, जिसके पास से एक अदद देशी तमंचा व दो अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया, पकड़े गये व्यक्ति से कड़ाई से पूछ—ताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मृतक बृजमंगल उपरोक्त को उसके द्वारा ही गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। पुलिस टीम द्वारा देशी तमंचा व कारतूस को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:—

01.विजय कुमार पुत्र महाजन निषाद निवासी—सोहवल गडहा सेखुई थाना—गौरीबाजार जनपद—देवरिया

बरामदगी का विवरण:—

01.एक अदद देशी तमंचा,

02.दो अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:—

01.प्रभारी निरीक्षक तेज जगन्नाथ सिंह थाना रूद्रपुर जनपद—देवरिया,

02.उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह थाना—रूद्रपुर जनपद—देवरिया,

03.कां0 रंजित प्रजापति थाना—रूद्रपुर जनपद—देवरिया,

02.स्वाट, सीआईयू टीम एवं थाना लार पुलिस द्वारा नकली शराब बनाने के उपकरण के साथ 470 पेटी अपमिश्रित केजी रोमियो शराब बरामद कर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया:—दिनांक—20.09.2019 को प्रभारी निरीक्षक थाना लार देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि हरखौली तिराहे पर प्रभारी स्वाट एवं सीआईयू टीम मय हमराही मिले जिनके द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आपस में चर्चा किया जाने लगा कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सतोतर के पास ईट भट्टे पर समस्त पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर दबिस दिया गया जहाँ से 05 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनसे नाम पता पूछे जाने पर उनके द्वारा अपना नाम पता **01.आलोक कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह (भट्टा मालिक) पुत्र विपिन बिहाहरी सिंह निवासी—बरडीहा दलपत थाना—लार जनपद—देवरिया, 02.अमित (भट्टा मुंशी) पुत्र निरंजन प्रसाद निवासी—मलकौली थाना—सलेमपुर जनपद—देवरिया, 03.शिव भोला (भट्टे पर मजदूर) पुत्र सुन्दर लाल निवासी—दीनगंज थाना—डलमऊ जनपद—रायबरेली, 04.विजय कुमार (भट्टे पर मजदूर) पुत्र छेदीलाल निवासी—पखरौली थाना—डलमऊ जनपद—रायबरेली, 05.मोनू (भट्टे पर मजदूर) पुत्र रामनरेश निवासी—पखरौली थाना—डलमऊ जनपद—रायबरेली** बताया गया। मौके से 470 पेटी अवैध मिलावटी केजी रोमियो व 20 शीशी नकली बन्टी बब्बली देशी शराब, दो अदद प्लास्टिक के गैलेन में 10—10 लीटर अपमिश्रित शराब, दो बोरे में खाली शीशी बन्टी बब्बली, एक झोले में ढक्कन, दो अदद कीप, दो अदद जग, 10 किग्रा यूरिया, 5 किग्रा नौशादर बरामद किया गया, अभियुक्त आलोक कुमार से इसके संबन्ध में पूछ—ताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा पंजाब से केजी रोमियो अंग्रेजी शराब मंगाकर अपने भट्टे पर एकत्रित किया जाता है तथा बन्टी बब्बली देशी शराब की खाली शीशियों में मिलावट कर उसे हम लोकल बाजार में बेच देते हैं। पुलिस टीम द्वारा बरामद माल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:—

01.आलोक कुमार सिंह पुत्र विपिन बिहारी सिंह निवासी—बरडीहा दलपत थाना—लार जनपद—देवरिया, (भट्टा मालिक)

02.अमित पुत्र निरंजन प्रसाद निवासी—मलकौली थाना—सलेमपुर जनपद—देवरिया, (भट्टा मुंशी)

03.शिव भोला पुत्र सुन्दर लाल निवासी—दीनगंज थाना—डलमऊ जनपद—रायबरेली, (भट्टे पर मजदूर)

04.विजय कुमार पुत्र छेदीलाल निवासी—पखरौली थाना—डलमऊ जनपद—रायबरेली, (भट्टे पर मजदूर)

05.मोनू पुत्र रामनरेश निवासी—पखरौली थाना—डलमऊ जनपद—रायबरेली, (भट्टे पर मजदूर)

बरामदगी का विवरण:-

- 01.470 पेट्टी अवैध मिलावटी क्रेजी रोमियो शराब,
- 02.20 शीशी नकली बन्टी बब्बली देशी शराब,
- 03.दो अदद प्लास्टिक के गैलेन में 10-10 लीटर अपमिश्रित शराब,
- 04.दो बोरे में खाली शीशी बन्टी बब्बली,
- 05.एक झोले में ढक्कन,
- 06.दो अदद कीप,
- 07.दो अदद जग,
- 08.10 किग्रा यूरिया,
- 09.05 किग्रा नौशादर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- | | |
|--|---|
| 01.प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह गौर थाना लार जनपद-देवरिया, | 06.उ0नि0 रंजय कुमार थाना लार देवरिया, |
| 02.उ0नि0 संतोष सिंह प्रभारी स्वाट टीम देवरिया, | 07.आ0 अरुण खरवार स्वाट टीम देवरिया,, |
| 03.उ0नि0 घनश्याम सिंह प्रभार सर्विलांस सेल देवरिया, | 08.आ0 सुदामा यादव स्वाट टीम देवरिया |
| 04.उ0नि0 अनिल कुमार यादव प्रभारी सी0आई0यू0 देवरिया, | 09.आ0 धन्नजय श्रीवास्तव स्वाट टीम देवरिया |
| 05.उ0नि0 रामरतन यादव थाना लार देवरिया, | 10.आ0 राहल सिंह सर्विलांस सेल देवरिया. |

03.थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया गया:-दिनांक-17/18.09.2019 की रात्रि अज्ञात चोर द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय पथरदेवा के किचन में ताला तोड़कर गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि चोरी कर लिया गया था जिसके संबन्ध में वादी सफीक अहमद खॉ पुत्र स्व0 अनौरुद्दीन खॉ निवासी-सीतापट्टी थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया की तहरीर पर थाना तरकुलवा में मु0अ0सं0-244/2019 धारा-457,380 भादंसं का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। आज दिनांक-21.09.2019 को प्रातः देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए हनुमानगंज चौराहे पर मौजूद थे कि एक व्यक्ति कुछ हाथ में लिए खड़ा था, जिसके पास पुलिस नजदीक जाने लगी तो वह पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछे जाने पर उसके द्वारा अपना नाम पता **01.अमरेश यादव उर्फ उरमा पुत्र लखीचन्द्र यादव निवासी-पथरदेवा थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया** बताया गया। उसके पास से एक अदद गैस चूल्हा व गैस पाईप बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्ति द्वारा उपरोक्त दिनांक को चोरी की घटना कारित किया जाना कबूल किया गया। बरामद माल को पुलिस द्वारा कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 01.अमरेश यादव उर्फ उरमा पुत्र लखीचन्द्र यादव निवासी-पथरदेवा थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

- 01.एक गैस चूल्हा,
- 02.एक गैस पाईप,

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.उ0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय थानाध्यक्ष तरकुलवा जनपद-देवरिया
- 02.उ0नि0 कमलेन्द्र प्रताप सिंह थाना-तरकुलवा देवरिया,
- 03.मु0आ0 सम्पत्ति वर्मा थाना-तरकुलवा देवरिया,
- 04.कां0 संजय पटेल थाना-तरकुलवा देवरिया

